




भारत सरकार / Government of India  
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र / Bhabha Atomic Research Centre  
कार्मिक प्रभाग / Personnel Division  
प्रशासन अनुभाग / Administration Section



सेंट्रल कॉम्प्लेक्स / Central Complex  
ट्रॉम्बे / Trombay  
मुंबई / Mumbai - 400 085

सं./Ref : 32(1)/2016/Admn/1468

जून/June 30, 2022

**परिपत्र / CIRCULAR**

विषय: सीएचएसएस लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की कीमत की प्रतिपूर्ति।  
Subject: Reimbursement of cost of COVID-19 vaccine to CHSS beneficiaries - reg.

यह परिपत्र उक्त विषय पर क्रमशः, इस कार्यालय के दिनांक 20.12.2021, 28.01.2022 एवं 06.04.2022 के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक / 1354, 1387 एवं 1428 के अनुक्रम में है :

This is in continuation of this Centre's Circulars of even No./1354, 1387&1428 dated 20.12.2021, 28.01.2022 & 06.04.2022 respectively on the subject cited above.

2. आगे यह सूचित किया जाता है कि इस संबंध में गठित समिति ने कोविड-19 वैक्सीन के कीमत की प्रतिपूर्ति हेतु अधूरे एवं विलंब से प्राप्त दावों पर विचार-विमर्श करने हेतु बैठक की। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

Further, it is informed that the Committee constituted in this regard once again met to deliberate the issue on incomplete and delayed claims received for reimbursement of cost of COVID-19 Vaccine. After detailed deliberation following has been decided:

a) सीएचएसएस के पात्र लाभार्थी (भापअ केंद्र के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी) जिन्होंने कोविड-19 की पहली/दूसरी डोज़ दिनांक 30.06.2022 तक भुगतान के आधार पर बाहर से ली है, जिसमें निम्नलिखित मामले भी शामिल हैं -  
Eligible CHSS beneficiaries (BARC serving/Retired employees) who have taken 1<sup>st</sup>/2<sup>nd</sup> dose of COVID-19 Vaccine from outside, on payment basis, till **30.06.2022** including the cases -

- जिन्होंने "स्वैच्छिक विशेष टीकाकरण अभियान" के माध्यम से टीका लगवाया है।  
who have availed Vaccine through "Voluntary Special Vaccination Drive".
- जिन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है।  
who had not submitted their claim within stipulated period.
- जिनके दावे अस्वीकार कर दिये गये (किन्हीं भी कारणों से)  
whose claims were rejected (reasons whatsoever)

ऐसे सीएचएसएस लाभार्थी दिनांक 29.07.2022 तक अपने दावे, दिनांक 20.12.2021 के परिपत्र में उल्लेख किये गये प्रलेखों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

Such CHSS beneficiaries may submit their claims upto **29.07.2022**, alongwith the documents as mentioned in the Circular dated 20.12.2021.

b) पात्र सीएचएसएस लाभार्थी (भापअ केंद्र के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी) जिन्होंने कोविड-19 की पहली/दूसरी डोज दिनांक 30.06.2022 के बाद, भुगतान के आधार पर बाहर से ली है, वे टीकाकरण की तिथि से तीन (03) माह के भीतर अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।  
Eligible CHSS beneficiaries (BARC serving/Retired employees) who have taken 1<sup>st</sup>/2<sup>nd</sup> dose of COVID-19 Vaccine from outside on payment basis, after **30.06.2022**, may submit their claims **within three (03) months from the date of vaccination.**

c) भापअ केंद्र के सेवारत पदाधिकारी क्रय एवं दावा पद्धति के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन के कीमत की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन केवल AAIS के माध्यम से, अपेक्षित प्रलेखों को अपलोड करते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं। [संदर्भ परिपत्र दिनांकित 20.12.2021]

Serving BARC officials may apply for reimbursement of cost of COVID-19 Vaccine only, through AAIS as per Purchase and Claim procedure by uploading requisite documents [Reference Circular dated 20.12.2021].

d) भापअ केंद्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी/परिवार पेंशनभोगी आदि क्रय एवं दावा पद्धति के अनुसार कोविड-19 वैक्सीन की कीमत की प्रतिपूर्ति हेतु अपने दावे, निम्नलिखित प्रलेखों के साथ सहायक लेखा अधिकारी (आयुर्विज्ञान अनुभाग), लेखा प्रभाग, भापअ केंद्र को सीधे प्रस्तुत कर सकते हैं:

Retired BARC employees/Family Pensioners etc. may submit their claims for reimbursement of cost of COVID-19 Vaccine, as per Purchase and Claim procedure alongwith the following documents directly to Asst. Accounts Officer (Medical Section), Accounts Division, BARC:

(i) वैध सीएचएसएस कार्ड की प्रति/Copy of valid CHSS card,

(ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा COWIN वेबसाइट पर जारी किया गया कोविड-19 टीकाकरण/पहली/दूसरी डोज का प्रमाणपत्र।

Certificate of COVID-19 vaccination - 1<sup>st</sup>/2<sup>nd</sup> dose issued by the Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi on COWIN website and

(iii) नकद रसीद/Cash receipt.

3. निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत दावों को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथापि, भुगतान की प्रतिपूर्ति दिनांक 20.12.2021 में उल्लिखित दरों की उच्चतम सीमा अथवा दावा की गई राशि, जो भी कम हो, के अनुसार की जाएगी।

The claims submitted after stipulated date will not be entertained in any condition. However payment shall be reimbursed as per ceiling rates indicated in Circular dated 20.12.2021 or as claimed, whichever is less.


4. कोविड-19 की तीसरी/बूस्टर/निवारक डोज के कीमत की प्रतिपूर्ति के विषय में सूचित किया जाता है कि विभाग से पुष्टिकरण प्राप्त होने के पश्चात उक्त वैक्सीन के कीमत की प्रतिपूर्ति पर विचार किया जाएगा। तथापि, यह सूचित किया गया है कि कोविड-19 की तीसरी/बूस्टर/निवारक डोज भापअ केंद्र अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध है तथा सीएचएसएस लाभार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

The matter regarding reimbursement of cost of 3rd /Booster/Precautionary dose of COVID-19 Vaccine, reimbursement of cost of above Vaccine shall be considered after confirmation received from the Department. However, it has been intimated that 3rd/Booster/Precautionary dose of COVID-19 Vaccine is available at BARC Hospital, at free of cost, and CHSS beneficiaries may avail the same.

5. भापअ केंद्र के सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रशासनिक अधिकारी-III/सहायक कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ निजी सचिवों से अनुरोध किया जाता है कि वे उक्त परिपत्र की अंतर्वस्तु को अपने वर्ग/प्रभागों/अनुभागों में कार्यरत सभी संबंधित कर्मचारियों के संज्ञान में लायें।

All AO-IIIs/APOs/Sr.PS in Groups/Division/Sections of BARC are requested to bring the contents of the above Circular to the notice of all the concerned employees in their Group/Divisions/Sections.

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।  
This issues with the approval of Competent Authority

  
20/06/2022

(बीरबल डाबरिया/Birbal Dabaria)

उप स्थापना अधिकारी/Deputy Establishment Officer

संलग्नक: यथोपरि/Encl: as above.

सभी वर्गों के निदेशक/सह निदेशक / Directors of Groups/Associate Directors of Groups

प्रभागाध्यक्षअनुभागाध्यक्ष/, भापअ केंद्र / Heads of Divisions/Sections in BARC

भापअ केंद्र के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रशासन अधिकारी-III/सहायक कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ निजी सचिव  
AO-IIIs/APOs/Sr.PS in Groups/Divisions/Sections.

प्रतिलिपि Copy to:	1. नियंत्रक, भापअ केंद्र Controller, BARC	} कृपया सूचनार्थ / For kind information please.
	2. आंतरिक वित्त सलाहकार, भापअ केंद्र / IFA, BARC	
	3. उप लेखा नियंत्रक (आयुर्विज्ञान) लेखा प्रभाग, भापअ केंद्र / DCA(Medical), Accounts Division, BARC	सूचनार्थ एवं उचित कार्रवाई हेतु For information and necessary action
	4. अध्यक्ष, एसआईआरडी, भापअ केंद्र Head, SIRD, BARC	इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को भापअ केंद्र के वेबसाइट-पेंशनर्स कॉर्नर पर प्रदर्शित करवाएं With a request to display the Circular on BARC Website - Pensioners Corner
	5. अध्यक्ष, आईएसएस, कंप्यूटर प्रभाग, भापअ केंद्र Head, ISS, Comp. Division, BARC	इस अनुरोध के साथ कि AAIS प्रणाली में कोविड वैक्सीन की प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक प्रावधान की व्यवस्था करवाएं With a request to arrange to make necessary provision for reimbursement of COVID-19 Vaccine in AAIS system
	6. अवर सचिव, आईडब्ल्यूएंडएसयू, भापअ केंद्र General Secretary, AEW&SU, BARC	} कृपया सूचनार्थ For information please.
	7. अध्यक्ष, आईआरडब्ल्यूए President, AERWA	